न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2014/04 दर्ज दिनांक : 15.05.2014

1. जयप्रकाश पुत्र स्वर्गीय चिरंजीलाल जाति सोनी निवासी ग्राम झारिया, तहसील व जिला चूरू हाल–24/25 नागरिक नगर, सीता बाड़ी के सामने, टोंक

–वादी–

बनाम

1. नवरतन पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जाति सोनी निवासी ग्राम झारिया, तहसील व जला चूरू (राज.) हाल–16 जादौन नगर–बी, दुर्गापुरा, जयपुर
2. शंकरलाल पुत्र सवर्गीय हनुनामन प्रसाद जाति सोनी निवासी ग्राम झारिया, तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल–एफ––39, श्याम नगर एक्सटेंशन, रामपथ के पास जपयुर,
3. डॉ कुमार राजीव पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जात सोनी निवासी ग्राम झारिया, तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल–कासा हवेली, एम–4, महाराजा हरिसिंह नगर, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर(राज.)
4. विमला देवी पत्नी स्वर्गीय चिरंजीलाल जाति सोनी निवासी ग्राम झारिया, तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल–24/25 नागरिक नगर, सीताबाड़ी के सामने टोंक रोड़, सांगानेर जयपुर
5. मंजू पत्नी श्री अशोक कुमार जाति सोनी पुत्री स्वर्गीय चिरंजीलाल पता– 257 ए, पार्श्वनगर, एयरपोर्ट के सामने, सांगानेर सर्किल, टोंक रोड़, जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
7. चूरू जिला भूमि विकास बैंक लि. चूरू जरिये सचिव

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री अभिषेक टावरी, अनवर खान
प्रतिवादी श्री सन्तोष सैनी,

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सीपीसी

: निर्णय :

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

1. यह कि प्रार्थी संख्या 01 नवरतन द्वारा खसरा संख्या 151 तादादी 21 बीघा, खसरा संख्या–501 तादादी 04 बीघा व खसरा संख्या 516 तादादी 66 बीघा 19 बिश्वा कुल तादादी 91 बीघा 19 बिश्वा रोही झारिया, तहसील व जिला चूरू के संबंध में घोषणात्मक अनुतोष, रिकॉर्ड दुरूस्ती व विभाजन हेतु वाद संख्या 521/97 माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, चूरू के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो प्रार्थी व अन्यों के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित फरमाया जाकर वादी नवरतन का वाद दिनांक 23.07.2001 को डिक्री किया गया।

2. यह कि उक्त वाद में प्रार्थी जयप्रकाश प्रतिवादी संख्या ... के रूप में संयोजित था तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 07 भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार सं... उक्त वाद संख्या– 521/97 में प्रतिवादी संख्या 01 के रूप में प्रार्थी की दादी ... किया गया है। चांदा दवी के मसस्त विधिक वारिसान इस प्रकार ... के रूप में व्यक्तिगत हैसियत में पक्षकार के रूप में मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वाद संख्या 521/97 में वादी नवरतन ने जिस लिखित दिनांक 10.02.1987 के स्वयं निष्पादनकर्ता हनुमान प्रसाद सोनी ने सही नहीं है तथा कोई प्रभाव नहीं रखता है क्योंकि उक्त तथाकथित लिखित दिनांक 10.02.1987 निष्प्रभावी व अप्रमाणित दस्तावेज है जिसके आधार पर पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 कायम रहने योग्य नहीं है।

4. यह कि वादी नवरतन द्वारा जिस स्वयं के हक की तथाकथित लिखित दिनांक 10.02.1987 के आधार पर उक्त वाद संख्या 521/97 प्रस्तुत किया गया था वह असल लिखित कभी भी वादी द्वारा वाद की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि उक्त लिखित बहस सही नहीं थी एव ना ही उक्त लिखित न्यायालय के समक्ष कभी प्रदर्शित ही करवाई गई। उक्त असल लिखित के अभाव में वादी नवरतन का वाद ही चलने योग्य नहीं था फिर वादी नवरतन ने सोवी समझी योजना के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गीत रू॰ से करवाते हुए गलत रू॰ से अपने ह क में निर्णय प्राप्त किया। उक्त तथाकथित गलत लिखित दिनांक 10.02.1987 का कोई विधिक महत्व नहीं है क्योंकि उक्त गलत लिखित ना ही तो किसी सक्षम अधिकारी अथवा नोटेरी द्वारा प्रमाणित है, ना ही पंजीकृत है ना ही किसी गवाह को उपस्थित मे निष्पादित है ना ही वह दस्तावेज किसी विधिक विलेख की परिभाषा में आता है।

5. यह कि वाद संख्या 521/97 में वादी नवरतन ने अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त करने हेतु अपने अभिवचनों मे स्वर्गीय हनुमान प्रसाद का वंशवृक्ष भी गलत अंकित किया। जिसमें स्वर्गीय चिरंजीलाल के वारिसान में उनके एक पुत्र स्वर्गीय देवकुमार व स्वर्गीय देवकुमार की पुत्री पुनम का अंकन नहीं किया गया ना ही वाद में उसे पक्षकार ही बनाया गया जबकि स्वर्गीय देवकुमार की पुत्री पुनम भी उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार थी ताा वादगत कृषि भूमियों में उसका भी हक व हिस्सा था। वाद मे पूनम को पक्षकार बनाये वगैर उक्त वाद चलने योग्य नहीं था। पक्षकारान का वंश वृक्ष दावा में संलग्न है।

6. यह कि वाद संख्या 521/97 में वादी नवरतन द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही सोची समझी योजना के तहत करवाई गई तथा स्पष्ट कथन भी अपने अभिवचनों में नहीं किये गये एवं माननीय न्यायालय को भी मुगालते में रखा तथा माननीय न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट न हो जावे इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध गलत रूप से तामिल होना बताकर एकपक्षीय कार्यवाही करवाई गई। नवरतन द्वारा समान वादगत सम्पतियों के संबंध में व समान अनुतोष चाहते हुए ही पूर्व में एक अन्य वाद संख्या 23/92 प्रस्तुत किया था जो वाद दिनांक 15.07.1997 को अबैट हो जाने कारण माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय, चूरू द्वारा खारिज फरमा दिया गया था ऐसी स्थिति में पुनः समान कथन करते हुए व समान अनुतोष चाहते हुए कानूनन नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जो एक विधिक स्थिति है परन्तु वादी नवरन ने रिकॉर्डेड तथ्यों को छुपाते हुए माननीय न्यायालय को मुगालते में रखते हुए पूर्व वाद की सूचना दिये बगेर व प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाते हुए माननीय न्यायालय से गलत रू॰ से एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की गई हो जो आदेश व डिक्री किसी भी रूप में कायम रहने योग्य नहीं तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

7. यह कि प्रार्थी अनेकों वर्षों से अपनी आजीविका के संबंध में ग्राम झारिया आता तो ग्राम झारिया से बाहर जयपुर रहता है। प्रार्थी जब कभी ग्राम झारिया आता तो ग्राम झारिया अवस्थित अपनी संयुक्त रिहायशी भूमि व बाड़ा में जाकर तथा अपने रिहायशी मकान में अपने कब्जे के एक कमरे में रूकता था। प्रार्थी जब दिनांक 18.04.2014 को ग्राम झारिया गया व अपनी बाड़ा की भूमि पर गया तो प्रार्थी को वहां श्री बुधाराम पुत्र श्री रामूराम गोदारा नाम का दीगर व्यक्ति काबिज मिला तो प्रार्थी हत प्रभ रह गया एवं जब प्रार्थी ने बुधाराम पुत्र श्री रामू[illegible] भूमि पर काबिज होने बाबत पूछा तो उस व्यक्ति ने उक्त बाड़ा की भूमि कई माह[illegible] रतन अकेले से खरीद करना प्रार्थी को बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि इस पर प्रार्थी ने [illegible] की उपस्थिति में उनके जरिये नवरतन से फोन पर सम्पर्क कर उसे इस बाबत उलाहना दि[illegible] तोनवरतन ने प्रार्थी को कहा कि– नवरतन

अकेले ने उक्त भूमि श्री बुधाराम पुत्र श्री रामूराम गोदारा को बेच दी है अब प्रार्थी रिहाशी मकान के कमरे में पड़ा अपना सामान भी उठाकर ले जावे अन्यथा उक्त सामान बाहर फैंकदिया जावेगा एवं साथ ही प्रार्थी को धमकी दी कि प्रार्थी पुनः झारिया आया तो प्रार्थी के लिए ठीक नहीं रहेगा।

9. यह कि चूंकि प्रार्थी झारिया से बाहर जयपुर रहता है तथा नवरतन व श्री बुधाराम पुत्र श्री रामूराम गोदारा का अकेला मुकाबला करने में सक्षम नहीं है एवं प्रार्थी कानून मे विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। दिनांक 19.04.2014 को जब प्रार्थी ग्राम झारिया अवस्थित अपने उक्त रिहायशी भूमि पर बध तो उसे घर के पिछले हिस्से के कमरे के बाहर उसका सामान फैंका हुआ पड़ा मिला जिस पर प्रार्थी अपना सामान लेकर वापिस जयपुर आ गया तथा जब जयपुर आकर प्रार्थी ने कई वर्षों से गांव में बंद पड़ा अपना सामान खोलकर देखा तो प्रार्थी अपने दादा हनुमान प्रसाद जी द्वारा निष्पादित असल वसीयतनामा दिनांक 15.03.1987 सर्वप्रथम प्राप्त हुआ।

10. यह कि इन दस्तावेजात को देखने प्रार्थी को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि किस प्राकर वाद संख्या 521/97 में वादी नवरतन ने गलत तथ्य लिखते हुए एवं सही तथ्यों को छुपाते हुए एक पक्षीय रूप से उक्त वाद दिनांक 23.07.2001 को अपने पक्ष में गलत रूप से निर्णित करवा लिया इससे पूर्व प्रार्थी को प्रार्थी के दादा द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 15.03.1987 व पूर्व वाद की कोई जानकारी नहीं थी।

11. यह कि उक्त वसीयतनामा की जानकारी पश्चात् प्रार्थी ने पुनः नवरतन से सम्पर्क कर इस वसीयत बाबत बतेते हुए विवादित निर्णय व डिक्री अपास्त करवाने हेतु कहा तो नवरतन इस हेतु स्पष्ट रूप से इंकार हो गया व प्रार्थी को धमकी दी कि वह इन कृषि भूमियों को भी अब आगे स्वयं के फायदे व पेचिदगियां बढाने हेतु विक्रय कर देगा। प्रार्थी व अन्यों को इन कृषि भूमियों में कोई हिस्सा नहीं देगा।

12. यह कि वाद संख्या 521/97 में वादी नवरतन ने गलत तथ्य लिखते हुए व मिथ्या साक्ष्य देते हुए प्रार्थी व अन्यों को प्रकरण की जानकारी के अभाव में गलत रूप से प्रतिवादीगण के अपूर्ण पते लिखते हुए गलत तामिले करवाकर माननीय न्यायालय को मुगालते में रखते हुए गलत तामिले करवाकर माननरीय न्यायालय को मुगालैते में रखते हुए उक्त वाद अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया था।

13. यह कि वाद संख्या 521/97 में अनेक विविध त्रुटियां रही है एवं प्रार्थी को अपने दादा द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 15.03.1987 को प्रकरण हेतु महत्वपूर्ण व आवश्यक दस्तावेज है कि पूर्व में जानकारी नहीं थी। यदि उक्त दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 15.03.1987 वाद पत्रावली पर प्रस्तुत होता है तो विवादित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 किसी भी रूप में कायम नहीं रह सकती है। इस कारण प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों पर यह पुनर्विलोकन याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हा रही है।

14. यह कि हालांकि यह प्रार्थना–पत्र जानकारी उपरान्त परिसीमा काल के भीतर ही प्रस्तुत किया जा रहा है परन्तु फिर भी किसी प्राकर की कोई कानूनी कमी व नुक्स न रह जावे इस कारण व्यतीत समय की छूट प्राप्ति हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. यह कि यदि प्रकरण की परिस्थितियों अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध वाद संख्या– 521/97 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 को अपास्त नहीं फरमाया जाता है व प्रार्थी का सुनवाई का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो प्रार्थी के सम्पति संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार समाप्त हो जावेंगे तथा प्रार्थी न्याय से वंचित हो [illegible] मंशा नहीं है।

16. यह कि वाद संख्या 521/97 में पारित नि[illegible] व [illegible] दिनांक 2307.2001 माननीय न्यायालय द्वारा ही पारित किये गये है इस का[illegible] का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है जो प्रार्थना–पत्र उचित न्याय[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध वाद संख्या 521/97 शिर्षक नवरतन विरूद्ध चान्दा देवी आदि में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 का पुनर्विलोकन किया जाकर व सुनवाई किया जाकर उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता संतोष सैनी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता प्रितसिंह उपस्थित हुए अप्रार्थी संख्या 04 व 05 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र का जवाब निम्न प्रकर प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित कथन वाद संख्या 521/97 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 के तथ्यों के अलावा अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थी द्वारा झुठे कथनों पर तथा फर्जी दस्तावेज वसीयतनामा के आधार पर यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की तनिक गुंजाईश नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। वाद संख्या 521/97 विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णित हुआ है तथा प्रार्थी को भी नियमानुसार सुनवाई हेतु नोटिस समन रहे है। प्रार्थी को उक्त वाद की कार्यवाही एवं निर्णय की समस्त जानकारी हासिल रही है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 से 6 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थी कभी भी ग्राम झारिया में नहीं रहा व जन्म से ही जयपुर रहता है। उसका कोई मकान झारिया में नहीं है तथा न कभी वह झारिया आया। बुद्धराम प्रार्थी का निजी व्यक्ति मित्र है तथा अप्रार्थी सं. 01 से व्यक्तिगत द्वेषता रखता है जिसको प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 01 के विरूद्ध अपनी झूठी कार्यवाही में साक्षी बनाने की नीयत से उपरोक्त मद में झूठे कथन किए हैं। अप्रार्थी ने बुद्धराम को कोई जमीन विक्रय नहीं की तथा जब प्रार्थी का कोई रिहायश गांव झारिया अपनी झुठी कार्यवाही में साक्षी बनाने की नीयत से उपरोक्त मद में झूठे कथन किए हैं। अप्रार्थी ने बुद्धाराम को कोइ जीन विक्रय नहीं की तथा जब प्रार्थी को कोई रिहायश गांव झारिया मे नहीं रहा ऐसी स्थिति में दिनांक 18.04.2014 को प्रार्थी का गांव झारिया में आना व 19.04.2014 को पुनः आना तथा अपने किसी सामान को बाहर फैंका हुआ मिलने का कथन कपोल कल्पित है। ऐसी घटना होती तो निश्चित तौर से प्रार्थी शिकायत पुलिस तथा प्रशासन को देता। दिनांक 15.03.1987 को कोई वसीयतनामा फर्जी तैयार किया गया है जिसके तथ्य से भी वसीयतनामा नहीं लिखा गया। प्रार्थी द्वारा उकत वसीयतनामा साबित नहीं है तथा इस प्रार्थना पत्र को पेश करने के लिए झूठा आधार बनया गया है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद सं. 07 से 9 पूर्णतया गलत होने से अस्वीका है। निर्णय दिनांक 23.07.2001 का अंकन राजस्व अभिलेख नियमानुसार हुआ है जिसका भी ज्ञान प्रार्थी को रहा है तथा जिसकी नकल बहुत पहले ही प्राप्त की है जिसे संबंध में कोइ विधिक कार्यवाही न कर यह झूठे कथनों पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा मियाद का झूठा आधार बनाया हैं प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अवधि बाधित है [illegible] 14 वर्ष बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके संबंध में दिन–प्रतिदिन का कोई कारण [illegible] है। ऐसी स्थिति में अवधि बाधित प्रकरण पर सुनवाई करने से अप्रार्थी [illegible] असुविधा के साथ–साथ वाद बहुलता की संभावना बनी रहने से क्षतिपूर्ती किसी [illegible] भी मूल्य वर्ग में आंकी नहीं जा सकती। लिहाजा मियाद केबिंदु पर ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] रिज आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं. 01 पेश कर अर्ज है कि उपरोक्त वर्णित आधारों पर प्रार्थी का मियाद क्षम्य का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज आदेश फरमाया जावे तथा पुनर्विलोकन प्राथ्रना पत्र भी अवधि बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी सं. 01 नवरत्न की ओर से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है कि

1. यह कि प्रार्थी जयप्रकाश की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 124 के तहत स्पष्टतः अवधि बाधित है। मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2001 है जिसके संबंध मे प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र वर्ष 2014 में संस्थित किया गया है जो स्पष्टतः 13 वर्ष 10 माह पश्चात् पेश किया गया होने से मियाद के बिन्दु पर ही प्रथमतः अवधि बाधित होने से खारिज होने काबिल है तथा मियाद के बिन्दू पर ही प्रथमतः अवधि बाधित होने से खारिज होने काबिल हैं तथा मियाद के बिन्दू के संबंध में दिन प्रतिदिन देरी का कारण भी स्पष्ट नहीं किया ऐसी स्थिति में मियाद क्षम्य योग्य भी नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करने का कथन किया है जिसके आधार पर भी यह प्रार्थना पत्र अवधि बाधित है।

2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.04.2014 को श्रीमान न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू पर अप्रार्थीगण के अधिकारों की आपति को सुरक्षित रखने अथवा मियाद बाहर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के संबंध मे कोई आदेश न पारित कर सीधे ही प्रकरण को दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को समन जारी हो का आदेश भी विधि की प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त काबिल है।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 114 व 151 जाब्ता दिवानी के तहत पेश किया गया है। कानूनन धारा 114 राजस्व वाद व कार्यवाही के निर्णय डिक्री पर पुनर्विलोकन के लिये लागू नहीं है यही नहीं आदेश 47 नियम 01 के प्रावधानों के तहत पुनविलोकन का स्कोप सीमित रहा है प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य सबूत जो कि निर्णय डिक्री पारित करने के सम्यक तत्परता*के पश्चात् भी या ऐसी कोई भूल या गलती जो कि अभिलेख के देखने से प्रकट होती हो ऐसा कोई आधार प्रार्थना पत्र में न होने से पुनर्विलोकन का प्रार्िना पत्र कानूनन चलने योग्य भी नही है।

4. यह कि अप्रार्थी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत वाद सं. 521/97 में विधि की समस्त प्रक्रिया न्यायालय द्वारा अपनाई जाकर अन्तिम निर्णय डिक्री दिनांक 23.07.2001 को पारित की गई जिस निर्णय व डिक्री का बखुबी ईलम प्रार्थी व मूल वाद के प्रतिवादीगण को रहा है यही नहीं उक्त निर्णय व डिक्री का अंकन राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुआ जिसका भी ज्ञान प्रार्थी व मूल वाद के प्रतिवादीगण को रहा है यही नहीं उक्त निर्णय व डिक्री का अंकन राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुआ जिस का भी ज्ञान प्रार्थी व मूल वाद के प्रतिवादी पक्षकार को रहा है ऐसी स्थिति में ऐसी कोई त्रुटी व दोष जो कि मूल वाद की पत्रावली के मुख से प्रकट होती हो का कोई आधार न होते हुवे भी यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने गतल आधार पर भी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने गलत आधार बनाकर प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर भी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने गलत आधार पर भी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र ा कि आधारहीन होने से प्रथम दृष्ट्या चलने काबिल नहीं है।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा मूल निर्णय व डिक्री के संबंध में अपील के जरिये ही निर्णय व डिक्री को प्रश्नगत करने का प्रावधान होते हुवे [illegible] जो कि प्रार्थी द्वारा ही वसीयतनामा के रूप के रू‍ से स्व. हनुमान प्रसाद के सफे[illegible] हसताक्षर का दुरूप्रयोग कर सोनी व सांवरमल सैनी को गवाह बनाया है [illegible] उक्त पत्र वसीयत की तारीफ में नही आता है यही नही उक्त पत्र के अंत में [illegible] निष्पादक द्वारा अंकित नहीं की गई तथा अन्तिम पैरा में अप्रार्थी नवरत्न के संबंध में जो कथन किया गया है के आधार पर भी उक्त पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

वसीयतनामा नहीं माना जा कता तथा किसी भी प्रकार की अगर वसीयत निष्पादित होती है तब उसके संबंध मे जो कथन किया गया है के आधार पर भी उक्त पत्र वसीयतनामा नहीं माना जा सकता तथा किसी भी प्रकार की अगर वसीयत निष्पादित होती है तब उसके संबंध में प्रोबेट सर्टिफिकेट का प्रावधान रहा है तथा पैतृक सम्पति के संबंध मे वसीयत करने का कोई हक व अधिकार भी नीह होने से इस प्रार्थना पत्र में जो आधार लिया गया है वह चलने योग्य भी नहीं है।

मूल प्रार्थना पत्र का मदवार जवाब निम्न पेश है:-

1. मूल प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित कथन निर्विवाद है तथा कथन है कि वाद सं. 521/97 विधि की प्रक्रिया एवंत थ्य सबूत के आधार पर निर्णित होकर डिक्री फरमाया गया जिसमे कोई अनियमितता तथा तथ्य एवं साक्ष्य की त्रुटी नही रही है।

2. यहकि प्रार्थना पत्र की दम सं. 02 में वर्णित कथन प्रार्थी जयप्रकाश व संबंधित आवश्यक सभी पक्षकार संयोजित रहे है चान्दा देवी ने अपने अपने जीवनकाल में जरिये रिलीज डीड अपने हिस्सा की उक्त कृषि भूमि पंजीकृत विलेख दिनांक 25.04.2000 से अप्रार्थी नवरत्न के हक में अपने हक का त्याग कर दिया जिस तथ्य को प्रार्थी ने जानबूझकर छिपाया है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 03 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि स्व. हनुमान प्रसाद द्वारा अपने जीवनकाल में पारिवारिक मौखिक अंटवारा कर दिया था तथा एक लिखित तहरीर के जरिये खसरा नं. 151 व 501 की भूमि अप्रार्थी नवरत्न के हिस्से में रखनी तय की थी जिस लिखित को उक्त मद में प्रार्थी ने स्वीकार किया है तथा मूल वाद के पक्षकार राजीव कुमार द्वारा वाद डिक्री करने में आपति नहीं की गई तथा चिरंजीलाल द्वारा भी एक शपथ पत्र वाद सं. 23/92 में प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 151 व 501 के संबंध में अप्रार्थी नवरत्न के हक में अपने हक को त्यगा किया है। इस प्रकार समस्त तथ्यों का प्रार्थी को ज्ञान होते हुव हनुमान प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर से वसीयतनामा कूटरचित का उल्लेख झूठा आधार कायम करने के लिए किया। प्रार्थी द्वारा वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित है को न्यायालय में इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के लिए झुठा आधार बनाक आपराधिक कृत्य किया है जिसके लिए प्रार्थी के विरूद्ध धारा 193 भा.द.स. के तहत कार्यवाही हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 04 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्राथ्रना पत्र की मद सं. 03 में उक्त लिखित कथन को स्वीकार किया है तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के साथ पेश फर्जी व कॅटरचित दस्तावेज वसीयतनामा के अन्तिम पैरा में उक्त लिखित दिनांक 10.02.1987 को प्रार्थी ने स्वयं माना है। उक्त मद के अन्त में प्रार्थी का यह कथन कि उक्त लिखित ना ही तो किसी सक्षम अधिकारी अथवा नोटेरी द्वारा प्रमाणित है, ना ही पंजिकृत है, न ही स्टाम्पड है, ना ही किसी गवाह की उपस्थिति में निष्पादित है, ना ही किसी गवाह की उपस्थिति मे निष्पादित है, ना ही वह दस्तावेज किसी विधिक विलेख की परिभाषा में आता है। उक्त कथन से प्रार्थी ने यह स्वीकृति दी है कि उसके द्वारा उक्त दस्तावेज देखा है तथा उसके ज्ञान मे रहा है अन्यथा उपरोक्त कथन प्रार्थी किस आधार पर अंकित करता जिसके आधार पर भी प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाकर गलत आधार पर पेश करने के कारण काबिल खारिज होने योग्य है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 05 वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि स्व. हनुमान प्रसाद का वंश वृक्ष अप्रार्थी नवरत्न द्वारा अपने वाद के अभिवचन में सही अंकित किया है बल्कि प्रार्थी [illegible] पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में जानबूझकर तथ्यों को छिपाया है। स्व. चिरंजीलाल के वारिश [illegible] कुमार [illegible] देहान्त होने के पश्चत् पूनम का जन्म उसके ननिहाल में हुआ जिसकी [illegible] द्वारा ही किया गया जिसे हिन्दू धर्म व रिति से ननिहाल पक्ष ने [illegible] चिरंजीलाल ने अपने जीवन में पूनम को देखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

तक नही अतः पूनम देव कुमार की वारिश नही है जो तथ्य प्रार्थी के पूर्णतया जानकारी में होत हुवे इस प्रार्थना को रंगत देने की मंशा से झुठाा कथन किया है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 06 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि अप्रार्थी नवरत्न द्वारा वाद सं. 521/97 में किसी भी तथ्य को छिपाया नही । अतः माननीय न्यायालय को मुगालता में रखने का प्रशन ही नही उठता। वाद की समस्त कार्यवाही विधि की प्रक्रिया के तहत पूर्ण होकर वाद निर्णित फरमाया गया में चिरंजीलाल द्वारा शपथ पत्र के जरिये वादगत रकबा के अपने हक व हिस्सा को अप्रार्थी नवरत्न के हिस्सा में त्याग किया है ऐसी स्थति में प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में जो आधार लिया गया है वह गलत होने से स्वीकार नही है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 07 में वर्णित कथन अस्वीकार है तथा कथन है कि उक्त मद मे वर्णित कथन अस्वीकार है तथा कथन है कि उक्त मद में अंकित कथन सफेद झुठ है प्रार्थी का कभी भी गांव झारिया में रिहायशी मकान नही रहा है तथा बुधाराम अपने मकान सहित काबिज है वह जमीन स्व. हनुमान प्रसाद की नही रही थी बुधाराम को कथित जमीन कभी विक्रय नही की उक्त कथन प्रार्थी ने अपने निजी व्यक्ति मित्र बुधाराम को इस प्रकरण में गवाह बनाने की नीयत से झुठा अभिवचन किया है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 08 व 09 में वर्णित कथन सफेद झूठ है जो कतई स्वीकार नही है अप्रार्थी नवरत्न ने बुधाराम को कोई जमीन नही बेची न ही बुधाराम की रिहायशी जमीन में प्रार्थी का कोई मकान रहा तथा न ही प्रार्थी अपने जीवन में झारिया गांव आया बल्कि वह जन्म से ही जयपुर निवासी है। अतः सामान होना व फेंकना कपाल कल्पित झुठा कथन है ऐसी कोई घटना होती तो निश्चित तोर पर प्रार्थी पुलिस अथवा प्रशासन में कोई रिपोर्ट देता। मद सं. 09 के अंत में जिस वसीयतनामा तैयार किया है जिसके संबंध मे हस्ताक्षरों की जांच हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 10 से 12 में वर्णित कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि प्राथ्री कौव ाद संख्या 521/97 के मसस्त तथ्य, निर्णय व डिक्री तथा उसके आधार पर राजस्व अभिलेख मे अंकन का पूर्ण ज्ञान रहा है। वसीयतनामा दिनांक 15.03.1987 प्रार्थी ने फर्जी तैयार किया है जिसकी जानकारी होने या न होने का कथन औचित्यपूर्ण भी नही है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी वनरत्न से नही मिला तथा वाद सं. 521/97 मे समस्त कार्यवाही विधि सम्मत होकर निर्णित फरमाई गई है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 13 वर्णित कथन पूर्णतया गलत है जो उपर वर्णित कथन की पुनरावर्ती है। वसियतनामा दिनांक 15.03.1987 प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश करने के समय फर्जी तैयार किया गया है तथा झुठा आधार बनाया गया है जिस वसीयतनामा से भी वाद सं 521/97 के निर्णय व डिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने से प्रार्थी का यह प्राथना पत्र चलने योग्य नही है।

11. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 14 से 16 मे वर्णित कथन पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है तथा कथन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्टतया अवधि बाधित है तथा मियाद क्षम्य का कोई आधार व कारण न होने से मियाद के बिन्दू पर ही काबिल खारिज होने योग्य है। प्रकरण संख्या 521/97 में प्रार्थी को सम्यक तामिल समन की हुई है तथा जानबूझकर चूक के लिये विधि में क्षम्य का कोई प्रावधान नही है। प्रार्थी को वाद सं. 521/97 की पूर्णतया प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड की भी जानकारी रहीं है। [illegible] नही मिला हो झुठा कथन हैं इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी पक्षकार 2 से 5 प्रार्थी के च[illegible] है जिनका इस प्रकरण में पक्षकार बनाकर उनकी मौन स्वीकृति अपने प्रार्थना [illegible] है तथा यह प्राथना पत्र झुठे कथनों पर पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आधारों व विधि के प्रावधानो के तहत प्रार्थी जयप्रकाश का पुनर्विलोकन प्राथना पत्र न्यायहित में खारिज आदेश फरमाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा जानबूझकर फर्जी व कूटरचित वसीयतनामा दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी सं. 01 को तंग व परेशान करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो हर्जे व खर्चे सहित खारिज आदेश फरमाया जवे।

जवाब प्रस्तुत करने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिस आधार पर दावा डिक्री हुआ है वो दस्तावेज Original नहीं था केवल कॉपी थी। आदेश 22 अबैट के बाद सेम फैक्ट पर नया दावा नही लाया जा सकता। नया दस्तावेज मिला है जिसमें पुराने वाला को दबाव में लिखवाने का जिक्र है। जिन खसरों पर दावा किया था उनाके अनुपस्थिति में खारिज हुआ था सीपीसी के अनुसार दुबारा नहीं सुन सकते दूसर वाला एकपक्षीय निर्णीत हो गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र 13 वर्ष बाद पेश हुआ है। वसीयत की ड्रॅाफ्टिंग पर सवाल उठाते हुए पैतृक सम्पति का अकेले में वसीयत नहीं लिखी जा सकती जिन आधारों पर दावा किया था ।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 2005 AIR(S-C) 592 व 1983 AIR(SC) 676 के उद्धहरण पेश किये है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने RLW 2006 पृष्ठ 1877 सर्वोच्च न्यायालय , RLW 2007 पृष्ठ 474 राजस्थान उच्च न्यायालय RLW 2013(2) पृष्ठ 114 राजस्थान उच्च न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. सहपठित धारा 114 तथा धारा 151 सी.पी.सी. अंतर्गत पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र तथा उस पर दिए गए जवाब, प्रत्युत्तर, दलीलों एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओंकी बहस सुनी गई। संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन कर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है कि पुनर्विलोकन हेतु Limitation Act के अवधि 30 दिन है। यहा मूल डिक्री दिनांक 23.07. 2001 पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत वर्ष 2014 अर्थात् लगभग 13 वर्ष 10 माह बाद प्रार्थी ने देरी के लिए यह कहा कि दादा की वसीयत उसे 19.04.2014 को झारिया से जयपुर सामान लाते समय मिली किन्तु प्रार्थी लगातार यह दावा करता है कि वह भूमि में कब्जे में था और बाद में उसका सामान फैंका गया, परन्तु ऐसी किसी घटना की पुलिस रिपोर्ट नहीं दी गई न ही किसी स्वतंत्र साक्ष्य से सिद्ध किया गया कि वसीयत 2014 में ही प्राप्त हुई न ही दिन–प्रतिदिन की देर (Day toDay delay) का विवरण दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय (RLW 2006 p-1877) (RLW 2013(2) p-114) स्पष्ट कहता है कि लंबी देरी तब तक क्षम्य नहीं जब तक उचित विश्वसनीय कारण न हों। अतः न्यायालय पाता है कि मियाद क्षमा योग्य नहीं है पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया ही अवधि–बाधित है। आदेश 47 Rule 1 के अनुसारदस्तावेज नया हो महत्वपूर्ण हो पूर्व में Due Diligence के बावजूद भी प्रस्तुत न किया जा सका हो। प्रस्तुत वसीयतनामा बिना पंजीकरण, बिना नोटरी है। स्वयं प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना–पत्र में स्वीकार किया है कि उसने इसी दस्तावेज की सामग्री व दूसरे लिखित को देखकर कथन किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह दस्तावेज उसे पहले से ज्ञात था या ज्ञात हो सकता था। यह दस्तावेज न तो नया न प्रमाणित न विश्वसनीय न ही Due Diligenc की कसौटी पर खरा उतरता है। तामील प्रार्थी ने तामील पर आपत्ति की है, परन्तु अभिलेख अनुसार मूल वाद में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 05 के रूप में संयोजित था, तामील की रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध है, नामांतरण Mutation भी हो चुका, जिसका ज्ञान प्रार्थी को होना स्वाभाविक है, कोई प्रमाण नहीं कि प्रार्थी वास्तव में झारिया में निवास करता था या उसकी अनुपस्थिति के कारण तामील नहीं हुई। अतः तामील को गलत मानने हेतु कोई ठोस आधार नहीं है। आदेश 47 Rule 1 [illegible] अत्यंत सीमित है केवल ऐसी त्रुटि जो साधारण निरीक्षण से तुरंत स्पष्ट हो, या न्याया[illegible] कोई ऐसा तथ्य अनदेखा किया हो जो स्वयंसिद्ध हो। वाद 521/97 में [illegible] उपलब्ध थे। प्रतिवादी राजीव कुमार ने भी आपत्ति नहीं की। वादी के [illegible] लिखित 10.02.1987 प्रस्तुत था। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested

कोई अनदेखी की गई वस्तु कोई रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। पूर्व में वाद संख्या 23/92 का अबैट होना प्रार्थी का तर्क कि अबैट वाद के बाद नए वाद पर रोक थी परन्तु वाद 23/92 Abate हुआ था न कि Dismiss on Merits, Supreme Court AIR 2005 SC 592 AIR 1983 SC 676 — कहते हैं कि Abatement किसी बाद के वाद पर रोक नहीं लगाता यदि कारण भिन्न हों या साक्ष्य नए हों। यह तर्क पुनर्विलोकन में उपयोगी नहीं क्योंकि यहाँ मुद्दा वाद का पुनः चालू होना नहीं, बल्कि पुराने निर्णय का पुनर्विलोकन है। सभी तथ्यों, बहस, विधिक प्रावधानों व पूर्व निर्णयों के परीक्षण के बाद न्यायालय पाता है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत प्रमाणित विश्वसनीय या नया महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है तामील व प्रक्रिया विधिसम्मत रही मूल निर्णय 23.07.2001 किसी भी त्रुटि जो रिकॉर्ड पर स्पष्ट हो के आधार पर संदिग्ध नहीं है। अतः आदेश 47 Rule 1 CPC के किसी भी आधार पर पुनर्विलोकन स्वीकार्य नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested